

आदेश - पत्रक

767 / 13-14
5

अनुसूचित 14 नं० 502

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
दिनांक से 200

आदेश क्र०	श्री श्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री हरि बिहारे राय उर्फ कुपाल सिंह
 वलद श्री बुनी लाल राय ग्राम बहल्ला मंडिरी
 थाना पैठ जिला पटना
 के चाला नं० 2944 दिनांक 31/03/2012

के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मालिक का नाम	पैठ	खसता नं०	खसरा	रतगी
<u>बहल्ला लाल इहली</u>	<u>पैठ</u>	<u>1200</u>	<u>1203</u>	<u>0-18</u>
	<u>वार्ड नं० 2824</u>	<u>245</u>	<u>1215</u>	<u>(अठारह अंश)</u>
	<u>186</u>			<u>एक</u>
				<u>1.00</u>

मूल आवेदन पत्र हलका कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित करने हेतु पत्र अंचल पर मुचमा जारी कर आपत्ति की मांग कर।
 अभिलेख दिनांक 22/03/12 को उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी

मामले पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।
 कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम पर खरिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके अनुशासक के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शीघ्र पत्र निर्गत करें।

लिखित एवं मुद्रित किया।
 अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी